



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 119 राँची, बुधवार,

5 मार्च, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 फ़रवरी, 2025

संख्या:-08/FSL (07)-15/2024-1268--विभागीय अधिसूचना संख्या-4055, दिनांक-16.09.2022 द्वारा गठित झारखण्ड राज्य अंगुलांक सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2022 के तहत राज्य अंगुलांक ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के सहायक निदेशक, अंगुलांक को उप-निदेशक एवं निदेशक के पद पर प्रोन्नति हेतु सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति का निम्नरूपेण गठन किया जाता है:-

1. सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची - अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची - सदस्य
3. सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची - सदस्य
4. सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्य पिछड़ा वर्ग
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची - सदस्य
5. महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची । - सदस्य सचिव
6. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा मनोनीत
अनु० जाति/अनु० जनजाति के सदस्य - सदस्य

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
